



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ का कार्यालय
OFFICE OF THE Pr. CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX, (MP&CG)
“आयकर भवन”, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011
“AAYAKAR BHAWAN,” HOSHANGABAD ROAD, BHOPAL-462011

आदेश /ORDER

दिनांक /Dated: 15.10.2025

Sub: Registration as a Valuer under section 34AB of Wealth Tax Act-1957 (For the purpose of Wealth-tax Act, 1957, Income-tax Act, 1961 and Gift-tax Act, 1958) in the case of Shri Pawan Dabhade, S/o: Shri Govind Rao Dabhade resident at HIG-3, Muni Nagar, Ujjain (M.P) – Regarding-

विषय : धन-कर अधिनियम-1957 की धारा 34एबी के तहत मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण (धन-कर अधिनियम, 1957, आयकर अधिनियम, 1961 और उपहार कर अधिनियम, 1958 के प्रयोजन के लिए) के मामले में श्री पवन दाभाडे, पुत्र श्री गोविंद राव दाभाडे, निवासी एच.आई.जी.-3, मुनि नगर, उज्जैन (म.प्र.) - संबंध में।

With reference to your letter/application received in this office on 29.11.2022, and after due consideration of the applicable Rule 8A of the Wealth Tax Rules, 1957, it is informed that your name has been registered u/s 34AB of the Wealth-tax Act, 1957 as valuer for the class/classes of assets mentioned below:

इस कार्यालय में दिनांक 29.11.2022 को प्राप्त आपके पत्र/आवेदन के संदर्भ में, तथा धन-कर नियम, 1957 के लागू नियम 8ए पर समुचित विचार करने के पश्चात, आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एबी के अंतर्गत नीचे उल्लिखित परिसंपत्तियों के वर्ग/वर्गों के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया है:

Valuer for / मूल्यांकनकर्ता हेतु — “Immovable Property/ अचल संपत्ति ”

1. Your Registration No. is **V-862** in the Register of Valuers maintained in the office of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal. Your registration shall be effective from **15.10.2025**. The registration shall be valid for **3 years** from the date of order and you can be re-registered, if found eligible thereafter.

आपका पंजीकरण क्रमांक, **V-862** प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल कार्यालय में मूल्यांकनकर्ताओं के रजिस्टर में उल्लेखित है। आपका पंजीकरण दिनांक **15.10.2025** से प्रभावी होगा। यह पंजीकरण आदेश की तारीख से **3 वर्षों** के लिए वैध होगा और उसके बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपका पुनः पंजीकरण किया जा सकेगा।



Add DR
[Signature]

आयुक्त जी
[Signature]
31/10/25

2. In this regard, please note that your registration is subject to the following conditions:

कृपया इस संबंध में, ध्यान दें कि आपका पंजीकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

A. Preparation of Valuation Reports and prescribed fee chargeable:

- मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना और निर्धारित शुल्क देय:

- (i) The report of valuation shall be prepared by you in the prescribed form (including all required information and documents) as prescribed under Rule 8D of Wealth tax Rules, 1957 and the details of all such reports of valuation will be kept in a separate register and will be produced before the undersigned whenever required.
- (i) मूल्यांकन रिपोर्ट आपके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में (सभी अपेक्षित सूचना और दस्तावेजों सहित) तैयार की जाएगी, जैसा कि धन-कर नियम, 1957 के नियम 8डी के अंतर्गत निर्धारित किया गया है तथा मूल्यांकन की ऐसी सभी रिपोर्टों का ब्यौरा एक अलग रजिस्टर में रखा जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) For the valuation of any asset in this regard, you shall only charge the fee as per Rule 8C of Wealth tax Rules, 1957 which should be acceptable to you. A receipt of the fee charged shall be issued by you and a copy of such receipt will be preserved, and produced before the undersigned, whenever required.
- (ii) इस संबंध में किसी भी संपत्ति के मूल्यांकन के लिए, आप केवल धन-कर नियम, 1957 के नियम 8सी के अनुसार ही शुल्क लेंगे जो आपको स्वीकार्य हो। आपके द्वारा लिए गए शुल्क की रसीद जारी की जाएगी और उस रसीद की एक प्रति सुरक्षित रखी जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

B. As per Section 34ACC of the Wealth Tax Act, 1957:

- धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एसीसी के अनुसार:

- (i) Whenever you are convicted of any offence and sentenced to a term of imprisonment; or
- (i) यदि आपको कभी किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और कारावास की सजा सुनाई जाती है; अथवा
- (ii) In a case where you are a member of any association or institution established in India having as its object the control, supervision, regulation or encouragement of the profession of architecture, accountancy, or company secretaries or such other profession as the Board may specify in this behalf by notification in the Official Gazette, found guilty of misconduct in your professional capacity, by such association or institution,

(ii) ऐसे मामले में जहां आप भारत में स्थापित किसी ऐसे संघ या संस्था के सदस्य हैं जिसका उद्देश्य वास्तुकला, लेखाशास्त्र, या कंपनी सचिवों या ऐसे अन्य पेशे के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन के रूप में है, जिसे बोर्ड आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है, ऐसे संघ या संस्था द्वारा आपको व्यावसायिक क्षमता में कदाचार का दोषी पाया जाता है।

(iii) In any other case, if you are held guilty of misconduct by the Chief Commissioner of Income Tax in accordance with the procedure laid down in Rule 8F and Rules 8H to 8K of Wealth Tax Rules.

(iii) किसी अन्य मामले में, यदि आपको धन-कर नियमों के नियम 8एफ और नियम 8एच से 8के में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा कदाचार का दोषी ठहराया जाता है

(iv) You shall immediately after such conviction or, as the case may be, finding, intimate the particulars thereof to the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal.

(iv) आप ऐसी दोषसिद्धि या, जैसा भी प्रकरण हो, निष्कर्ष के तुरंत बाद, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल को इसके विवरण से अवगत कराएंगे।

C. You shall not continue as a registered valuer if:

- आप पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता के रूप में मान्य नहीं रहेंगे यदि:

(i) You are convicted of an offence connected with any proceeding under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), or the Wealth-tax Act, 1957(27 of 1957), or the Gift-tax Act, 1958 (18 of 1958), or a penalty has been imposed on you under clause (iii) of sub-section (1) of section 271 or section 270A or clause (i) of section 273 of the Income-tax Act, 1961 or under clause (iii) of sub-section (1) of section 18 of the Wealth-tax Act, 1957, or under clause (iii) or subsection (1) of section 17 of the Gift-tax Act; or

(i) आप आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), या उपहार-कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18) के अंतर्गत किसी कार्यवाही से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए हो, या आप पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (iii) या धारा 270ए या धारा 273 के खंड (i) या धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के अंतर्गत, या उपहार-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (iii) या उप-धारा (1) के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है। या

(ii) You are declared an undercharged insolvent.

(ii) आपको अमुक्त दिवालिया घोषित किया गया हो।

D. In the case of conviction and undercharged insolvency as mentioned above, you will inform the office of the Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal immediately in writing.

- उपर्युक्त वर्णित दोषसिद्धि एवं अमुक्त दिवालियेपन के मामले में, आप कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल को तत्काल लिखित रूप से सूचित करेंगे।

E. As soon as you accept any job with Government/public sector undertakings or any non-government employer, you shall inform the office of the Pr. Chief Commissioner of Income tax, Bhopal. Any report of Valuation, given by you during any such service period will be treated as void. Your registration will be deemed as cancelled from the date of your getting employment.

- जैसे ही आप सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या किसी गैर-सरकारी नियोक्ता के साथ कोई नौकरी स्वीकार करते हैं, आपको प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल के कार्यालय को सूचित करना होगा। ऐसी किसी भी सेवा अवधि के दौरान आपके द्वारा दी गई मूल्यांकन रिपोर्ट अमान्य मानी जाएगी। आपकी नियुक्ति की तिथि से आपका पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

F. Your registration as Valuer will be cancelled under section 34AD of Wealth-tax Act, 1957 in case of any violations as mentioned in Section 34AD of the Wealth Tax Act, 1957 comes to the notice of Pr. Chief Commissioner of Income-tax, Bhopal, including for instances of violation of any of the conditions mentioned in section 8A of Wealth-tax Rules, 1957 and/or misrepresentation of facts in the Form-N and in the process of your applying for registration as a valuer or at any other stage.

- यदि धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एडी में उल्लिखित किसी भी उल्लंघन की जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, भोपाल के संज्ञान में आती है, तो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 34एडी के तहत मूल्यांकनकर्ता के रूप में आपका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, जिसमें धन-कर नियम, 1957 की धारा 8ए में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन और/या फॉर्म-एन में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना और मूल्यांकनकर्ता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में या किसी अन्य स्तर पर शामिल हैं।

3. The application for renewal of approval should be submitted by you at least 60 days before the expiry of the current approval.

- अनुमोदन के नवीनीकरण के लिए आवेदन आपको वर्तमान अनुमोदन की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले प्रस्तुत करना होगा।



-sd-

(Lalit Krishan Singh Dehiya)/(ललित कृष्ण सिंह देहिया)

Pr. Chief Commissioner of Income Tax, (MP&CG), Bhopal

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, (म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल

F.No. Pr. CCIT/MP/Tech./ Sec.34AB/V-862/2022-23

दिनांक - 15.10.2025

Copy to:

प्रतिलिपि :

- a. The Pr. Commissioner of Income Tax-1, Indore for kind information.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त-1, इंदौर को सूचनार्थ प्रेषित।

- b. Shri Pawan Dabhade, (the applicant).

श्री पवन डभाडे (आवेदक)।

- c. The ADG (System)-4, Income Tax Office, Vaishali, Ghaziabad for uploading in departmental website.

अपर महानिदेशक (पद्धति)-4, आयकर कार्यालय, वैशाली, गाजियाबाद विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(T. Suresh)/(टी. सुरेश)

Income Tax, Officer (Tech), O/o Pr. CCIT, MP & CG, Bhopal

आयकर अधिकारी (तकनीकी), कार्यालय प्र. मु. आ. आ. (म.प्र. एवं छ.ग.), भोपाल